RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : शुक्रवार 24 जनवरी 2025 वर्ष 06 अंक 282 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

टोरेस निवेश घोटाले में कार्रवाई करने में बरती लापरवाही !

Page - 2

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

नीतेश राणे पर रोहित पवार का काउंटर अटैक...

कहा- मीडिया में बयान देने के बजाय रक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए

मुंबईः महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की हालिया टिप्पणियों के जवाब में एनसीपी-शरद गुट के नेता रोहित पवार ने सीमा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की नसीहत दी है। राणे ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बारे में संदेह जताया था, उन्होंने सवाल किया कि क्या यह वास्तविक हमला था या खान केवल अभिनय कर रहे थे।

रोहित पवार ने अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सुझाव दिया कि मीडिया में बयान देने के बजाय, राणे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलना चाहिए और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सेना में भर्ती बढ़ाने का अनुरोध करना चाहिए।

पवार ने कहा कि हमें सीमा सुरक्षा बल को और अधिक मजबूती देने, सेना में अधिक लोगों की भर्ती करने और हमारी सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मेरा उनसे अनुरोध है कि मीडिया के सामने बोलने के बजाय, उन्हें राजनाथ सिंह जी से मिलना चाहिए और उनसे रक्षा, सीमा सुरक्षा बल में लोगों की भर्ती करने और हमारी सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने का अनुरोध करना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि देखिए, अगर वे इसे खत्म करना चाहते हैं, तो उन्हें सीमा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एनसीपी शरद गुट के नेता ने हा कि हम 'भारतीय पहले' की भी वकालत करते रहे हैं।

इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राणे ने सैफ पर हमले पर सवाल उठाते हुए कहा- ''मुझे संदेह है कि उसे चाकू मारा गया था या वह अभिनय कर रहा था।'' उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले का जिक्र करते हुए मुंबई में बांग्लादेशियों की हरकतों पर सवाल उठाया ।राणे ने कहा, ''वे सैफ अली खान के घर में घुस गए। पहले वे सड़कों के चौराहे पर खड़े रहते थे, अब वे घरों में घुसने लगे हैं। शायद वे उसे (सैफ को) ले जाने आए थे। यह अच्छा है, कचरा हटा दिया जाना चाहिए। जब वह अस्पताल से बाहर आया तो मैंने देखा, मुझे संदेह हुआ कि उसे चाकू मारा गया था या वह अभिनय कर रहा था। वह चलते-चलते नाच रहा था।'' इसके अलावा राणे ने एनसीपी (सपा) नेता सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन नेताओं को केवल सैफ अली खान, शाहरुख खान के बेटे और नवाब मलिक की चिंता है और जब एक हिंदू अभिनेता पर अत्याचार होता है तो वे आगे नहीं आते।

नासिक में झगड़े के दौरान 20 वर्षीय बेटे की हत्या करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार...

नासिकः महाराष्ट्र के नासिक में एक व्यक्ति को झगड़े के दौरान अपने 20 वर्षीय बेटे की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी विट्ठल गुंजाल और उसका बेटा अनिल उपनगर इलाके में आम्रपाली झुग्गियों में अपने घर में लगभग रोजाना छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करते थे। मंगलवार की रात दोनों शराब के नशे में धुत होकर झगड़ने लगे। झगड़े के दौरान विट्ठल ने अनिल पर भारी वस्तु से वार किया, जिससे उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह अनिल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई : जबरन वसूली के मामले में कुख्यात गैंगस्टर डीके राव को गिरफ्तार...

मुंबई : मुंबई क्राइम ब्रांच ने जबरन वसूली के मामले में कुख्यात गैंगस्टर डीके राव को गिरफ्तार किया है. डीके राव मुंबई का एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. जबरन वसूली, डकैती और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण वह छोटा राजन का प्रमुख सहयोगी माना जाता है. राव ने व्यवसायियों और डेवलपर्स को निशाना बनाकर जबरन वसूली के रैकेट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उसे पिछले वर्षों में कई बार गिरफ्तार किया गया है.

मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को एक होटल व्यवसायी से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि डीके राव ने छह अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके होटल पर कब्जा करने की साजिश रची, 2.5 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की मांग की और जान से मारने की धमकी दी. इस शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. डीके राव सहित सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

इसके अलावा, मुंबई पुलिस ने छोटा राजन गिरोह के एक अन्य सदस्य को 16 साल बाद गिरफ्तार किया है. 62 वर्षीय विलास बलराम पवार उर्फ राजू को 2 जनवरी को चेंबूर इलाके के देवनार पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पवार हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं. पवार ने 1992 में घाटला गांव में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल किया था और इस मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था. 2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद से वह फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा. पुलिस के अनुसार, आरोपी नवी मुंबई के नेरुल इलाके में रह रहा था और निर्माण स्थलों पर मजदूरों की आपूर्ति करता था. अधिकारी ने बताया कि पवार छोटा राजन गिरोह का सक्रिय सदस्य था और 1990 के दशक में दादर में एक व्यक्ति की हत्या में शामिल था. पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक लंबे समय से फरार अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है.

मुंबई में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी !

परिसर के चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही...

मुंबई : जोगेश्वरी-ओशिवारा क्षेत्र में एक स्कूल को बम की धमकी भरी ई-मेल मिली. इसके बाद तत्काल सुरक्षा के लिए टीम भेजी गई. स्थानीय पुलिस और विस्फोटक जांच टीम दल को परिसर की गहन जांच करने के लिए भेजा गया. अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला. छोटे बच्चों के क्लास की छुट्टी हो चुकी है. ईमेल में लिखा था कि स्कूल में बम अफजल गैंग ने लगाया है. पुलिस ने बताया कि जांच जारी है.

दिसंबर में आरबीआई को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी

बता दें कि बीते कुछ महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में स्कूलों और फ्लाइट में बम होने की धमकी के मामले सामने आए हैं. दिसंबर 2024 में मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल आया था और ये रूसी भाषा में लिखा हुआ था. इससे पहले पिछले 19 नवंबर को ही आरबीआई के कस्टमर केयर के नंबर पर फोन आया था. इसमें भी बम से उड़ाने की बात कही गई थी. इस दौरान फोन करने वाले ने खुद को लश्कर ए तैयबा का सीईओ बताया था.

मुंबई एयरपोर्ट को मिली चुकी है धमकी

पिछले साल नवंबर में ही मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. एक कॉलर में फोन करके कहा था कि मोहम्मद नाम का शख्स अजरबैजान जा रहा है और उसके पास बम है. हालांकि जब जांच की गई तो कुछ नहीं मिला.

इसी महीने 21 जनवरी को तमिलनाडु के इरोड जिले में दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली. वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कई बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है. राहत की बात ये है कि इन धमकियों से किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है.

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

जलवायु संधि

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बतौर राष्ट्रपति पहले ही दिन ट्रंप ने पेरिस जलवायु संधि से अलग होने का निर्णय ले लिया है। अमरीका अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का सदस्य भी नहीं रहेगा। अमरीका में अब जन्मजात नागरिकता का अधिकार लागू नहीं होगा। अब तक यहां जन्म लेने के साथ ही शिशु को नागरिकता मिल जाती है। ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते से हटने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा है कि ह्यमैं तुरंत पेरिस जलवायु संधि से हट रहा हूं, क्योंकि अमरीका अपने उद्योगों को उस स्थिति में हानि नहीं पहुंचाएगा, जब अन्य देश बेखौफ होकर प्रदूषण फैला रहे हों।ह्न याद रहे ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल 2017 में भी इस संधि से देश को अलग कर लिया था। परंतु जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमरीका फिर इसमें शामिल हो गया था। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के उद्देश्य से दुनिया के 175 देशों ने यह हस्ताक्षरित समझौता किया हुआ है। अब अमरीका के एक बार फिर से अलग हो जाने से दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल को झटका लगेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 2015 में हुए ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को बड़ा झटका लगा है। इस समझौते पर भारत-चीन सहित 175 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए समझौतों को ट्रंप जैसे लोग अपनी आत्मकेंद्रित दृष्टि के चलते खारिज करने लग जाएंगे तो न तो भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का कोई महत्व रह जाएगा और न ही वैश्विक समस्याओं पर आगे कोई सहमति बन पाएगी।

इस नाते अमरीका का इस वैश्विक करार से बाहर आना दुनिया के सुखद भविष्य के लिए बेहतर संकेत नहीं है। जबकि अमरीका सबसे ज्यादा प्रदूशषण फैलाने वाले देशों में प्रमुख है। राष्ट्र संघ को अमरीका के डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जाने पर भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा और युद्ध की स्थिति में प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में अमरीका यूएन को बड़ी मदद करता रहा है। इस करार से अमरीका का बाहर आना समूचे विश्व के लिए अशुभ है। अपने औद्योगिक हितों की चिंता और चुनावी वादे की सनक पूर्ति के लिए ट्रंप ने यह पहल की है। दरअसल ट्रंप अमरीकी कंजरवेटिव पार्टी के उस धड़े से सहमत रहे हैं, जो मानता है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ता वैश्विक तापमान एक थोथी आशंका है।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 8657861004
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

टोरेस निवेश घोटाले में कार्रवाई करने में बरती लापरवाही !

मुंबई : टोरेस ब्रांड नाम की आभूषण कंपनी पर पोंजी और मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस टोरेस निवेश घोटाले में तत्काल कार्रवाई करने में फेल रही। अधिकारियों ने अपने काम में लापरवाही बरती।

महाराष्ट्र में टोरेस निवेश घोटाले में कार्रवाई करने में लापरवाही पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस टोरेस निवेश घोटाले में तत्काल कार्रवाई करने में फेल रही। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने अपने काम में लापरवाही बरती।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि किसी ने भी तत्परता से कार्रवाई नहीं की है। पुलिस को जो भी हो रहा है उसके प्रति सजग रहने और तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। ताकि लोगों को अपनी मेहनत की कमाई न गंवानी पड़े। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे भविष्य में ऐसे घोटाले न हो सकें।

दरअसल टोरेस ब्रांड नाम की आभूषण कंपनी पर पोंजी और मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनाओं के माध्यम से निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें दो विदेशी नागरिक हैं। अधिकारियों के अनुसार 3700 से अधिक निवेशकों ने उनके साथ 57 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी किये जाने की पुलिस से शिकायत की है। टोरेस आभूषण ब्रांड के स्वामित्व वाली निजी फर्म ने निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके उन्हें धोखा दिया। सीए अभिषेक गुप्ता ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया था कि उन्होंने इस घोटाले को उजागर किया है। इसलिए उनको पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को गुप्ता को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था। साथ ही मामले की जा जांच का ब्योरा मांगा था।

सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने बुधवार को हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की। उन्होंने पीठ को बताया कि मामले में वांछित 12 आरोपियों में से आठ 30 दिसंबर 2024 से पहले देश छोड़कर चले गए। इन आठ आरोपियों में से सात यूक्रेनी नागरिक हैं जबकि एक भारतीय है। वेनेगांवकर ने कहा कि पुलिस को उनके ठिकानों और उनकी यात्रा के इतिहास के बारे में पता है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नवी मुंबई पुलिस गुपचुप तरीके से अक्तूर 2024 से घोटाले की जांच कर रही है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि अगर घोटाले की जानकारी उपलब्ध थी, तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद करने के लिए कहा।

पुणे में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के 35 संदिग्ध नए मामले सामने आए

पुणे: अधिकारियों ने बताया कि पुणे में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के 35 संदिग्ध नए मामले सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या 59 हो गई।एक दिन पहले 24 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी में अचानक वृद्धि की जांच के लिए एक टीम बनाई।डॉक्टरों ने कहा कि जीबीएस एक दुर्लभ स्थिति है, जो अचानक सुन्नता और मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनती है, जिसमें अंगों में गंभीर कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं।

एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, ''बुधवार को जीबीएस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 59 हो गई, जिनमें 38 पुरुष और 21 महिलाएं शामिल हैं। 12 मरीज फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं।''राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी में अचानक वृद्धि की जांच के लिए मंगलवार को एक रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) टीम का गठन किया।राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) के वैज्ञानिक डॉ. बाबासाहेब तंदले, स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रेमचंद कांबले, बी जे मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. राजेश कार्यकार्ते, राज्य महामारी विज्ञानी डॉ. भालचंद्र प्रधान और अन्य लोग आरआरटी का हिस्सा हैं। अधिकांश संदिग्ध मरीज 30 वर्ष की आयु के हैं।अधिकारी ने कहा, ''आरआरटी के सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां इनमें से अधिकांश मामले सामने आए थे और पुणे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी के निर्देश दिए। मरीजों के मल और रक्त के नमूने एनआईवी को भेजे गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों से पानी के नमूनों की जांच की जा रही है।''

डॉक्टरों ने बताया कि जीवाणु और वायरल संक्रमण आम तौर पर जीबीएस का कारण बनते हैं क्योंकि वे मरीजों की प्रतिरक्षा को कमजोर करते हैं।अधिकारी ने कहा, ''यह बच्चों और युवा आयु वर्ग दोनों में प्रचलित है। हालांकि, जीबीएस महामारी या सर्वव्यापी महामारी का कारण नहीं बनेगा।''

मुंबई: गैस सप्लाई के मालिक और मैनेजर गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी...

मुंबई: हाल ही में एक सत्र न्यायालय ने गैस सप्लाई के मालिक और मैनेजर को गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। जुलाई 2019 में दोनों पर मामला दर्ज किया गया था, जब एक कर्मचारी पन्नालाल यादव की मौत हो गई थी, जब वह सिलेंडर संभाल रहा था, जिसमें विस्फोट हो गया था। एजेंसी 'बॉम्बे गैस सप्लायर्स' ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति का काम करती थी। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मृतक, जो 10 साल से एजेंसी में काम कर रहा था, मालिक रिहाना शेख, 37, और प्रबंधक विनोद कुमार मिश्रा, 57 की लापरवाही के कारण मर गया। 16 जुलाई, 2019 को सुबह करीब 10 बजे यादव गैस सिलेंडर उतार रहा था, तभी उनमें से एक में विस्फोट हो गया।

जबकि उसकी मौके पर ही मौत हो गई, अन्य घायल हो गए। उसके चचेरे भाई की शिकायत के अनुसार, शेख और मिश्रा ने सुरक्षा उपाय नहीं किए, जिसके कारण विस्फोट हुआ। अभियोजन पक्ष ने एजेंसी के कर्मचारी और विस्फोट स्थल का निरीक्षण करने वाले बीएमसी अधिकारियों सहित 10 गवाहों की जांच की थी। गैस एजेंसी ने गवाही दी कि उसने उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। इसने दावा किया कि विस्फोट एक मजदूर की लापरवाही के कारण हुआ और इसमें कोई प्रणालीगत विफलता नहीं थी।

अदालत ने नोट किया कि बीएमसी लाइसेंस निरीक्षक ने गवाही दी कि एजेंसी ने अतिरिक्त गैस सिलेंडरों को संग्रहीत करके सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि, अधिकारी इन उल्लंघनों और विस्फोट के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं कर सका, अदालत ने कहा। आदेश में कहा गया है, ''यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए एक अखंड श्रृंखला बनाने में विफल रहता है।'' इसमें कहा गया है कि मृतक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आकस्मिक गलत व्यवहार जैसे वैकल्पिक कारण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

रेल मंत्रालय ने जलगांव रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की...

मुंबई : रेल मंत्रालय ने जलगांव रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग घायल हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यालय ने एक बयान में कहा, ''जलगांव रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है, गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे।''

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में कर्नाटक एक्सप्रेस के यात्रियों को टक्कर मारने से 12 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। एसपी जलगांव महेश्वर रेड्डी ने कहा, ''जलगांव ट्रेन हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल जलगांव में भर्ती कराया गया है।रेलवे द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे।'' घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। जलगांव के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) आयुष प्रसाद ने एएनआई को बताया, ''हमें दुर्घटना की सूचना मिली जिसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और घटनास्थल पर एंबुलेंस और अन्य सहायता भेजी। अस्पतालों को सक्रिय कर दिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सभी जांच की जा रही है।'' यह घटना उस समय हुई जब पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री ट्रेन में संदिग्ध आग लगने के कारण अपने कोच से बाहर निकले थे और बाहर निकलने के दौरान कर्नाटक एक्सप्रेस बगल की पटरी से गुजरी और कई यात्री चलती ट्रेन की चपेट में आ गए। आगे की जांच जारी है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में हुए दुखद ट्रेन हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे ट्रैक पर हुए दुखद हादसे से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।'' महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बुधवार को जलगांव ट्रेन दुर्घटना में मारे गए पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार घायलों के सभी चिकित्सा खर्च भी वहन करेगी। सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर एक स्व-निर्मित वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ''राज्य सरकार जलगांव जिले में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और राज्य सरकार घायलों का पूरा खर्च भी वहन करेगी। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।''

दूध के लिए 499 रुपए मासिक सब्सक्रिप्शन मांगकर 30,490 रुपए की ऑनलाइन ठगी...!

ठाणे : एक व्यक्ति से दूध के लिए 499 रुपए मासिक सब्सक्रिप्शन मांगकर 30,490 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कपूरबावड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया है। ठगी का शिकार हुआ व्यक्ति कोलशेत इलाके में रहता है। वह हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी करता है। कुछ महीने पहले उसके मोबाइल पर विज्ञापन आया कि 499 रुपए के सब्सक्रिप्शन पर उसे एक महीने के लिए दूध मिलेगा।

चूंकि शिकायतकर्ता इस सब्सक्रिप्शन को लेने में इच्छुक था, इसलिए उसने अपने क्रेडिट कार्ड से 499 रुपए का ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया। ट्रांजेक्शन करते ही क्रेडिट कार्ड से 30,490 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया। इसके बाद उसने ट्रांजेक्शन रोकने के लिए संबंधित वेबसाइट और अपने बैंक को ईमेल किया। इसके बाद बैंक ने शिकायतकर्ता को बताया कि यह ट्रांजेक्शन किसके खाते में हुआ है। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को मिल गई। ठगी का अहसास होने पर उसने साइबर वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद इस संबंध में कपूरबावड़ी थाने में मामला दर्ज कराया गया है ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन ठगी के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

ठाणे : बर्ड फ्लू; मटन बेचने वाली दुकानों को 5 फरवरी तक बंद रखने का फैसला

ठाणे : ठाणे के बड़ा बंगला इलाके में ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबरे के सरकारी आवास पर रखी गई मुर्गियों में बर्ड फ्लू होने की बात सामने आने के बाद ठाणे नगर निगम ने कोपरी इलाके में चिकन और मटन बेचने वाली दुकानों को 5 फरवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। नगर निगम ने बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए ठाणे जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार यह कदम उठाया है। पिछले हफ्ते यह बात सामने आई थी कि ठाणे के बड़ा बंगला इलाके में ठाणे पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुंबरे के सरकारी आवास पर रखी गई 20 मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित थीं। इसके बाद जिला पशुपालन विभाग ने बंगले के एक किलोमीटर के दायरे में सभी मुर्गियों को नष्ट करने का काम किया था। जिला प्रशासन ने इलाके में बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए कार्ययोजना के अनुसार उपाय करना भी शुरू कर दिया था। इन दस्तों में राज्य के पशुपालन विभाग, ठाणे नगर निगम के पशु चिकित्सा विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल थे। इस क्षेत्र में मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों के नमूने भी परीक्षण के लिए भेजे गए थे। उनमें कुछ भी नहीं मिला। दस्ते ने 127 नागरिकों की स्वास्थ्य जांच भी की और 75 लोगों के स्वाब के नमूने लिए। इसमें कुछ भी नहीं मिला। इस बीच, बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट ने कोपरी क्षेत्र में चिकन और अंडे की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। तदनुसार, ठाणे नगर निगम ने कोपरी क्षेत्र में चिकन और अंडे के दुकानदारों को एक नोटिस जारी किया है और उन्हें 5 फरवरी तक अपनी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। इस खबर की पुष्टि ठाणे नगर निगम की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ चेतना नितिल के ने की है। दुकानदारों की प्रतिक्रिया है कि दुकानें बंद होने से आर्थिक नुकसान हो रहा है।

उल्हासनगर में क्राइम ब्रांच और विट्ठलवाड़ी पुलिस ने दो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया...

उल्हासनगर : सैफ अली खान पर हमले के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सामने आया है और स्थानीय क्राइम ब्रांच और पुलिस की छापेमारी में पता चला है कि कई बांग्लादेशी बिना किसी वैध दस्तावेजों के छिपकर रह रहे हैं। हाल ही में उल्हासनगर में क्राइम ब्रांच और विट्ठलवाड़ी पुलिस ने दो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, जो यहां काम कर रहे थे और रह रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उल्हासनगर क्राइम ब्रांच ने विभिन्न ऑपरेशनों में 16 बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश बांग्लादेशी शहर के कोनों में चालों में रहते पाए गए थे। हाल ही में पुलिस ने विट्ठलवाड़ी थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आशेले गांव में कार्रवाई करते हुए दो और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इसमें उल्हासनगर क्राइम ब्रांच द्वारा की गई कार्रवाई में एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिला का नाम रूमा बीबी हफीजुल खान (40) है। वह पहले कोलकाता में रहती थी। उसके बाद वह खाड़ेगोवेली इलाके में बस गई। पुलिस ने महिला को आवास मुहैया कराने वाले मकान मालिक रफीक विश्वास (49) के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कोली के मार्गदर्शन में गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई में, आशेले पाड़ा में दर्शना कॉलोनी, गोपी कडू चाल में रहने वाले बांग्लादेशी मुनीरुल महिमुद्दीन सरदार (41) को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई अवैध प्रवासियों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है।

मुंबईः दुकान मालिक की सतर्कता और त्वरित सोच की वजह से आभूषण की दुकान पर हथियारबंद डकैती की कोशिश

मुंबईः मुंबई के पोइंसुर इलाके में एक आभूषण की दुकान पर हथियारबंद डकैती की कोशिश दुकान मालिक की सतर्कता और त्वरित सोच की वजह से नाकाम हो गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना बुधवार शाम करीब 10 बजे हुई जब तीन अज्ञात व्यक्ति चाकू लहराते हुए दुकान में घुसे और लूटपाट करने की कोशिश की। हालांकि, दुकान मालिक ने तुरंत कार्रवाई की और दुकान में रखी एक रॉड का इस्तेमाल करके हमलावरों को खदेड़ दिया।

मदद के लिए उसकी तेज आवाज लगाई तो आस-पास के लोग दौड़े चले आए, जिससे लुटेरों को मौके से भागने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए काम कर रही है। आगे की पूछताछ जारी है।

शिलफाटा रोड पर रिक्शा सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गया

ठाणे : शिलफाटा रोड पर एक रिक्शा सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गया। टक्कर में रिक्शा चालक अशोक कुमार (32) घायल हो गया और उसका इलाज ठाणे महानगरपालिका के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में चल रहा है। अशोक कुमार शिलफाटा से पनवेल की ओर रिक्शा लेकर जा रहा था। उस समय रिक्शा में कोई यात्री नहीं था। जब उसका रिक्शा शिलफाटा के रॉयल रेस्टोरेंट इलाके में पहुंचा तो उसका रिक्शा सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि रिक्शा का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। अशोक कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया और रिक्शा में ही फंसा रह गया। घटना की सूचना मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस और शिलफाटा-दाईगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। ठाणे महानगरपालिका की दमकल की मदद से अशोक कुमार को रिक्शा से बाहर निकाला गया। अशोक कुमार को इलाज के लिए ठाणे महानगरपालिका के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस की टीमों ने सिस्टम की मदद से रिक्शा को सड़क के किनारे कराया, जिसके बाद यहां यातायात सामान्य हो सका।

नवी मुंबई पुलिस ने 224 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा!

नवी मुंबई: पिछले दो वर्षों में, नवी मुंबई पुलिस ने शहर के भीतर अवैध अप्रवास और गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 224 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, जो अवैध रूप से रह रहे थे या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे।

वर्ष 2023 में, कुल 506 विदेशियों को निर्वासित किया गया और 297 विदेशियों को काली सूची में डाला गया। इनमें से 89 बांग्लादेशी थे और उनके खिलाफ कुल 36 मामले दर्ज किए गए। वहीं, वर्ष 2024 में, 669 विदेशियों को निर्वासित किया गया और 540 को काली सूची में डाला गया। इनमें से 135 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी थे और उनके खिलाफ कुल 47 मामले दर्ज किए गए।

स्थानीय पुलिस और अपराध शाखा द्वारा झुग्गी-झोपड़ियों, निर्माण स्थलों और अनौपचारिक बस्तियों जैसे संदिग्ध क्षेत्रों को लक्षित करते हुए नवी मुंबई में कई ऑपरेशन चलाए गए, जिसके दौरान गिरफ्तारियाँ की गईं। पकड़े गए ज्यादातर लोगों के पास वीजा या वर्क परमिट सहित वैध दस्तावेज नहीं पाए गए।

सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध शाखा) अजय लांडगे ने कहा, ''नवी मुंबई को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत हम अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। निर्वासित विदेशियों में सबसे अधिक संख्या नाइजीरियाई लोगों की है। हमने नागरिकों से अपील की है कि जब वे किसी विदेशी नागरिक को अपना फ्लैट किराए पर दें तो स्थानीय पुलिस को सूचित करें। उन्हें पंजीकृत किराया समझौता भी करना होगा और उसकी एक प्रति हमें जमा करानी होगी।'' एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ''पकड़े गए लोगों में से अधिकांश निर्माण, घरेलू काम या छोटे व्यवसायों जैसे असंगठित श्रम क्षेत्रों में लगे हुए थे। जबकि कुछ बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में भारत में आए थे, वहीं कुछ अवैध गतिविधियों में शामिल थे।'' नवी मुंबई पुलिस अपने प्रयासों को तेज करने के लिए तैयार है, उन्नत निगरानी तकनीकों का उपयोग कर रही है और अपने मुखबिरों के नेटवर्क का विस्तार कर रही है। स्थानीय लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान की भी योजना बनाई जा रही है।

कल्याण : रेलवे प्रशासन ने स्कूल को 28 जनवरी तक स्कूल खाली करने का नोटिस...

कल्याण : वालधुनी में रेलवे की जमीन पर बनी इमारत में पिछले कई सालों से एक संस्था द्वारा स्कूल चलाया जा रहा है। चूंकि यह स्कूल रेलवे की जमीन पर है, इसलिए रेलवे प्रशासन ने स्कूल को 28 जनवरी तक स्कूल खाली करने का नोटिस दिया है। इस नोटिस से स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और छात्रों में खलबली मच गई है। इस स्कूल में करीब 400 छात्र पढ़ते हैं। अब परीक्षा का मौसम आ गया है और चूंकि इस दौरान स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसलिए स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों में दहशत फैल गई है। रेलवे की इस अचानक कार्रवाई का स्कूल प्रबंधन, छात्रों और अभिभावकों ने विरोध किया है। वालधुनी में रेलवे अस्पताल के बगल वाले इलाके में 58 साल से एक संस्था द्वारा अंग्रेजी स्कूल चलाया जा रहा है। इस स्कूल में करीब 400 छात्र पढ़ते हैं। मंगलवार को रेलवे के अधिकारी

स्कूल के रेलवे की जमीन पर होने के कारण कार्रवाई करने पहुंचे थे।

स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और छात्रों के विरोध के बाद रेलवे के अधिकारी लौट गए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन को 28 जनवरी तक स्कूल खाली करने का नोटिस दिया है। रेलवे प्रशासन ने कल्याण, शहाड़, विट्ठलवाड़ी और अंबिवली क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों के पास रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसी के तहत उन्होंने इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है। स्कूल प्रबंधन ने मीडिया को बताया, हमारा स्कूल 58 साल से वालधुनी परिसर में है। रेलवे ने अचानक हमें 2 करोड़ 44 लाख रुपए किराया देने का आदेश दिया है। अगर हम इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हमें तुरंत स्कूल खाली करने की सलाह दी गई है। स्कूल को इतनी रकम देना संभव नहीं है।

अब 10वीं कक्षा की आंतरिक स्कूल परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसी स्थिति में हम अचानक छात्रों और स्कूल की सामग्री लेकर कहां जाएंगे? हमने रेलवे की कार्रवाई के खिलाफ कल्याण न्यायालय में आवेदन दायर किया है। रेलवे को हमें समय सीमा देनी चाहिए। रेलवे को कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। स्कूल प्रबंधन ने आवेदन में आशंका जताई है कि अगर रेलवे ने जल्दबाजी में कार्रवाई की तो छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। पूर्व नगरसेवक महेश गायकवाड़ ने स्कूल प्रबंधन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे स्कूल के समर्थन में हैं। वे विकास के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन कार्रवाई करने से पहले रेलवे को स्कूल के लिए वैकल्पिक जगह मुहैया करानी चाहिए। अचानक 400 छात्रों और उनकी सामग्री लेकर स्कूल प्रबंधन कहां जाएगा? कोई भी तुरंत स्कूल को नई इमारत मुहैया नहीं कराएगा। इसलिए वे रेलवे की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस मामले पर गौर करना चाहिए।

जलगांव रेल हादसे की डराने वाली तस्वीरें

ट्रेन में फैली अफवाह ने निगल लीं 13 जानें

जलगांव : उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम एक ट्रेन में आग की अफवाह फैली। इसके बाद यात्री दहशत में आए। घबराए यात्रियों ने ट्रेन से बाहर कूदना शुरू कर दिया। इस दौरान पटरी पर उतरे कुछ यात्री पास की पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। अधिकारियों ने इस हादसे में कम से कम 13 यात्रियों की मौत होने की जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि हादसा उस समय हुआ, जब 12533 लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्री आग लगने के डर से जलदबाजी में बगल की पटरियों पर कूद गए और बंगलूरू से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।

मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में 15 अन्य यात्री घायल हो गए। दुर्घटना उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचोरा कस्बे के निकट माहेजी और परधाड़े स्टेशन के बीच हुई। दुर्घटना उस समय हुई, जब शाम करीब 4:45 बजे किसी ने चेन खींच दी, जिसके बाद पुष्पक एक्सप्रेस रुक गई। हालांकि, रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इस बात से इनकार किया कि डिब्बे के अंदर किसी चिंगारी या आग के कारण यात्रियों ने अलार्म बजाया। उन्होंने बताया कि हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार कोच में कोई चिंगारी या आग नहीं देखी गई। इस बीच स्विटजरलैंड के दावोस से एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ट्रेन में कुछ यात्रियों ने गलती से मान लिया कि ट्रेन से धुआं निकल रहा है और वे कूद गए। दुर्भाग्य से वे दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। उन्होंने इस त्रासदी में मारे गए यात्रियों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सेंट्रल सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त दुर्घटना के कारणों की जांच करेंगे।

मुंबई: किसी निवासी को निर्दिष्ट स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से न रोके

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें नवी मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी को निर्देश दिया गया कि वह नगर निगम के अधिकारियों को वैधानिक कार्रवाई करने से न रोके या किसी निवासी को निर्दिष्ट स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से न रोके। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की पीठ ने सोसाइटी को यह भी निर्देश दिया कि वह किसी भी घरेलू सहायक को निवासी लीला वर्मा के अपार्टमेंट में उनके नियमित कर्तव्यों का निर्वहन करने से न रोके।

हाईकोर्ट वर्मा द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि उनके मौलिक अधिकारों का

उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि उनके घरेलू कर्मचारियों को सी वुड्स एस्टेट लिमिटेड में उनके अपार्टमेंट में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। पीठ ने टिप्पणी की कि, यदि आरोप सत्य हैं, तो सोसाइटी अन्य निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अनादर नहीं कर सकती, केवल इसलिए कि वे उन कुत्तों को खाना खिला रहे हैं जो उस क्षेत्र के हैं या जिनका क्षेत्रीय संबंध है।

वर्मा ने सोसायटी द्वारा दायर याचिका में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के नियम 20 को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया था। नियम के अनुसार निवासियों के कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट मालिकों के संघों (एओए) को अपने परिसर में आवारा पशुओं को खिलाने की अनुमति देनी चाहिए। इसमें

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com